प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

युगलपीठ

न्यायपीठ: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 276/2006

श्याम खटकर एवं अन्य

- विरुद्ध -

छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील क्रमांक 374/2006

सुरित राम एवं अन्य

- विरुद्ध -

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एन. चंद्राकर

मैं सहमत हूँ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 8 अगस्त, 2011 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

08.08.2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

न्यायपीठ: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 276/2006

अपीलार्थीगण : (अभिरक्षा में) 1. **श्याम खटकर** (जाति सतनामी), आत्मज सुरित राम खटकर, आयु 26 वर्ष, कृषक, निवासी मुछमलदा, थाना सरसींवा, जिला रायपुर, (छत्तीसगढ़)।

2. **ओड़काकिन उर्फ दरसमती**, पत्नी सुरित राम सतनामी, आयु 48 वर्ष,

सभी कृषक, निवासी ग्राम मुछमलदा, थाना सरसींवा, जिला रायपुर, (छत्तीसगढ़)।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना सरसींवा, जिला रायपुर, ज़िलाधीश रायपुर ।

एवं

दांडिक अपील क्रमांक 374/2006

अपीलार्थीगण : 1. **सुरित राम**, आत्मज लैनू दास, आयु 53 वर्ष, कृषक, निवासी मुछमलदा, थाना सरसींवा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. **मनोज**, आत्मज सुरित राम, आयु 19 वर्ष,

सभी कृषक, निवासी ग्राम मुछमलदा, थाना सरसींवा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना सरसींवा, जिला रायपुर, ज़िलाधीश रायपुर ।

{अपीलें अंतर्गत धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता}

उपस्थिति:

अपीलार्थीगण की ओर से : **श्री जनक राम वर्मा** सहित **श्री संतोष साहू**, अधिवक्ता**गण**।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से : **श्री अखिल मिश्रा**, उप शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(8 अगस्त, 2011)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा द्वारा पारित किया गया :-

1. श्याम खटकर एवं ओड़काकिन उर्फ दरसमती की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 276/2006 तथा सुरित राम एवं मनोज की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 374/2006, जो कि प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 309/2005 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 29-3-2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, को इस एक ही निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इन दो दांडिक अपीलों के माध्यम से, अपीलार्थीगण ने प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 309/2005 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 29-3-2006 की वैधानिकता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसके द्वारा और जिसके अधीन विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने श्रीमती कुसुम (मृतका) के जेठ, सह-अभियुक्त संजय को दोषमुक्त करते हुए, अपीलार्थी श्याम खटकर की पत्नी, अपीलार्थीगण सुरित राम एवं ओड़काकिन उर्फ दरसमती की पुत्रवधू तथा अपीलार्थी मनोज की भाभी—श्रीमती कुसुम की दहेज मृत्यु कारित करने के लिए अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया है; और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख एवं 498-क के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए क्रमशः आजीवन कारावास एवं 500-500 रुपये के जुर्माने, जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम किये जाने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, तथा तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये के जुर्माने, जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम किये जाने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है।

3. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं होने के बावजूद अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं दंडित किया है और इस प्रकार अवैधता कारित की है।

4. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थी श्याम खटकर की पत्नी, अपीलार्थीगण सुरित राम एवं ओड़काकिन उर्फ दरसमती की पुत्रवधू तथा अपीलार्थी मनोज की भाभी—कुसुम बाई (मृतका) का विवाह वर्ष 2004 में श्याम खटकर के साथ हुआ था। दिनांक 09-05-2005 को अपीलार्थीगण द्वारा दहेज की मांग और उसके प्रति की गई प्रताड़ना एवं क्रूरता के कारण, अपीलार्थीगण के घर में जलने के कारण आई चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन के मामले के अनुसार, अपीलार्थीगण गंभीर रूप से घायल कुसुम बाई को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भटगांव ले गए, जहाँ डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) ने उसका परीक्षण किया और प्रदर्श-पी/10 के माध्यम से उसका मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया तथा उसे रायपुर संदर्भित भेज दिया। यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रदर्श-पी/13 के माध्यम से मर्ग दर्ज किया गया। प्रदर्श-पी/1-ए एवं पी/1 के माध्यम से साक्षियों को समन जारी करने के पश्चात, प्रदर्श -पी/2 के माध्यम से कुसुम के शव का मृत्यु समीक्षा तैयार किया गया। घटनास्थल से मिट्टी तेल का डिब्बा जिसमें दो लीटर मिट्टी तेल था, चूड़ी के टूटे हुए टुकड़े, माचिस, साड़ी का जला हुआ टुकड़ा और लुंगी को प्रदर्श-पी/9 के माध्यम से जब्त की गई। मृतका की माता, रुकमिणी बाई ने दिनांक 10-05-2005 को एक लिखित शिकायत की और उसी लिखित शिकायत के आधार पर प्रदर्श-पी/14 के माध्यम से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई। शव को शवपरीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भटगांव प्रदर्श-पी/11-ए के माध्यम से भेजा गया। डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) ने प्रदर्श-पी/11 के माध्यम से शवपरीक्षण किया और मृतका के शरीर पर सतही तौर पर जलने के निशान पाए, कोई बाहरी चोट नहीं देखी गई, श्वासनली में कार्बन के कण पाए गए और मृत्यु का कारण जलने की चोटें एवं सदमा होना बताया गया। प्रदर्श-पी/16 एवं पी/19 के माध्यम से घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया। प्रारंभ में, प्रदर्श -पी/17 के माध्यम से मर्ग दर्ज किया गया था। जब्तशुदा वस्तुओं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श-पी/21 के माध्यम से भेजा गया और वस्तु 'ए' के रूप में कपड़ों के जले हुए टुकड़ों पर मिट्टी के तेल की उपस्थिति की पुष्टि हुई।

5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बलौदा बाजार के न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, रायपुर को उपार्पित कर दिया, जहाँ से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को प्रकरण विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ।

6. अभियुक्तगण के दोष को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल बारह साक्षियों का परीक्षण किया है। अभियुक्तगण का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण कराया है, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रकट होने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रश्नगत अपराध में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मृतका के जेठ, सह-अभियुक्त संजय को दोषमुक्त करते हुए, अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा विचारण न्यायालय के निर्णय एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

9. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता, श्री जनक राम वर्मा ने पुरजोर तरीके से यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार, यद्यपि कुसुम (मृतका) की मृत्यु उसके विवाह के एक वर्ष के भीतर, अपीलार्थीगण के घर में जलने की चोटों के परिणामस्वरूप एक अप्राकृतिक मृत्यु थी, किंतु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह प्रकट करते हैं कि अपीलार्थीगण ने मृतका की दहेज मृत्यु कारित नहीं की है और न ही उसके प्रति प्रताड़ना एवं क्रूरता की है। इसके विपरीत, मृतका ने स्वयं इस आधार पर आत्महत्या की है कि उसका बच्चा रो रहा था और घर में बच्चे की देखभाल के लिए कोई भी उपस्थित नहीं था, और इस कारणवश, क्रोध के

वशीभूत होकर उसने स्वयं के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली और इस प्रकार आत्महत्या कर ली। श्री जनक राम वर्मा ने आगे यह तर्क दिया कि आत्महत्या का उक्त तथ्य डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) के साक्ष्य से पूरी तरह संपुष्ट होता है, जिन्होंने मृतका का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था और प्रदर्श -पी/11 के माध्यम से शवपरीक्षण किया था। डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) ने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया है कि मृतका ने आत्महत्या की थी। श्री जनक राम वर्मा ने यह भी तर्क दिया कि मृतका चिड़चिड़े स्वभाव की थी और छोटी सी बात पर उसने स्वयं आत्महत्या कर ली, जिसके लिए अपीलार्थीगण उत्तरदायी नहीं हैं। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थीगण को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने के लिए कोई अन्य साक्ष्य एकत्रित नहीं किया है, किंतु विचारण न्यायालय ने अटकलों और अनुमानों के आधार पर अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं दंडित किया है, इसलिए अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि और दंडादेश विधि के अधीन पोषणीय नहीं हैं। श्री जनक राम वर्मा ने यह भी तर्क दिया कि मृतका द्वारा दिया गया एकमात्र मृत्युकालिक कथन विश्वास जगाता है, वह विश्वसनीय है और उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. श्री जनक राम वर्मा ने ***पद्माबेन शामलभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य***[1] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सक द्वारा घटना का इतिहास पूछकर अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता कि वह प्रश्नोत्तरी स्वरुप में नहीं है। श्री जनक राम वर्मा ने आगे ***शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य***[2] के मामले का अवलंब लिया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "भारत में विधि, मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता को इस बात पर निर्भर नहीं बनाता कि कथन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के निकट होने का आभास था या नहीं। भले ही व्यक्ति को अपनी मृत्यु की आशंका न रही हो, लेकिन उसके द्वारा अपनी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में दिया गया बयान **साक्ष्य अधिनियम की धारा 32** के अंतर्गत ग्राह्य होगा। धारा 32 'अनुश्रुत साक्ष्य' के नियम का एक अपवाद है और उस व्यक्ति के बयान को ग्राह्य बनाती

1Cr.L.R. (SC) 1991 page 162
2AIR 1984 SC 1622

है जिसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वह मृत्यु मानव वध हो या आत्महत्या, बशर्ते कि वह बयान मृत्यु के कारण से संबंधित हो, या मृत्यु की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों को प्रदर्शित करता हो। "इस संबंध में, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने हमारे समाज की विशिष्ट परिस्थितियों और हमारे लोगों की विविध प्रकृति एवं चरित्र को देखते हुए, अन्याय से बचने के लिए धारा 32 के दायरे को विस्तृत करना आवश्यक समझा है।" श्री जनक राम वर्मा ने ***टी. अरुनपेरुनजोथी बनाम राज्य, थाना प्रभारी पांडिचेरी के माध्यम***[3] के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दहेज मृत्यु सिद्ध करने के लिए मृतका के परिवार के सदस्यों का आचरण सुसंगत होता है; और यदि उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी तथा उन्होंने विवाह में दी गई सभी वस्तुएं वापस ले ली थीं, और मृतका के पति ने ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई थी, तथा यदि दहेज की मांग ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं होती है, तो दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं माने जाएंगे। अभियुक्त और मृतका यानी पति-पत्नी के बीच गलतफहमी स्वतः ही इस निष्कर्ष पर नहीं ले जाएगी कि अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत अपराध किया है, क्योंकि विधि ऐसी कोई उपधारणा नहीं करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता, श्री अखिल मिश्रा ने अपीलों का पुरजोर विरोध किया और यह निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त हैं कि सभी अपीलार्थीगण अर्थात् पति और मृतका के पति के रिश्तेदारों ने कुसुम बाई की दहेज मृत्यु कारित की है; उसकी मृत्यु विवाह के एक वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण के घर में लगी जलने की चोटों के परिणामस्वरूप हुई और अपनी मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज की मांग के संबंध में प्रताड़ना एवं क्रूरता का सामना करना पड़ा था। श्री अखिल मिश्रा ने आगे यह निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने उस संदिग्ध मृत्युकालिक कथन पर सही ढंग से अविश्वास किया है जिसे उस चिकित्सक द्वारा अभिलिखित

3(2006) 9 SCC 467

किया गया था, जिसने घायल का तत्काल उपचार करने के बजाय ऐसा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया और बिना किसी वैध कारण के अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य से विमुख हो गया, जो यह दर्शाता है कि डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) ने मृत्युकालिक कथनअभिलिखित नहीं किया था, बल्कि अपीलार्थीगण को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उसने मृत्युकालिक कथन के रूप में एक मिथ्या दस्तावेज तैयार किया था। श्री अखिल मिश्रा ने यह भी निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने ऐसे दस्तावेज पर उचित रूप से अविश्वास किया है।

12. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विवेचन करने हेतु, हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

13. वर्तमान मामले में, विवाह के सात वर्ष के भीतर अपीलार्थीगण के घर में जलने की चोटों के परिणामस्वरूप कुसुम बाई की अप्राकृतिक मृत्यु को अपीलार्थीगण की ओर से सारभूत रूप से विवादित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, मृतका की माता श्रीमती रुकमिणी बाई (अ.स.-1), मृतका की बहन कुमारी सुशीला सोनी (अ.स.-2), मृतका के पिता सहसराम सोनी (अ.स.-3), डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) के साक्ष्य और शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श -पी/11 से यह स्थापित होता है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के $1^{1/2}$वर्ष के भीतर अपीलार्थीगण के घर में जलने की चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जहाँ तक मृतका की दहेज मृत्यु और प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थीगण की संलिप्तता का प्रश्न है, मृत्युकालिक कथन प्रदर्श-पी/10, शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श -पी/11 और डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) के साक्ष्य के अनुसार, मृतका ने मृत्युकालिक कथन दिया था कि ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा उसके बच्चे की देखभाल न करने के कारण वह क्षुब्ध हो गई थी और उसने स्वयं पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी, और इस प्रकार उसने स्वयं आत्महत्या की थी, उसकी मृत्यु के लिए कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था। उक्त कथित मृत्युकालिक कथन प्रदर्श-पी/10, जो कि दस्तावेज के अनुसार दिनांक 10-05-2005 को प्रातः लगभग 3.30 बजे डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) द्वारा अभिलिखित किया गया था, वह इस प्रकार है: —

"मैं कुसुम पति श्याम कुमार निवासी ग्राम मुछमल्दा उम्र 17 वर्ष 1 वर्ष पूर्व मेरी शादी हुई थी मायका मेरा कोसीर है आज रात को करीब 10 बजे स्वतः मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली मेरा बच्चा रो रहा था और घर में कोई नही था इसी गुस्से में आत्म हत्या के उद्देश्य से आग लगा ली कोई मुझे नही जलाया है।"

15. डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) ने अपने साक्ष्य में यह अभिकथन किया है कि दिनांक 09-05-2005 और 10-05-2005 की मध्यरात्रि को लगभग आधी रात के समय, कुसुम के पति और उसके रिश्तेदार कुसुम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भटगांव में उनके पास लाए थे। कुसुम 100% जल चुकी थी। उन्होंने महिला चिकित्सक के साथ मिलकर उसका उपचार प्रारंभ किया और उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसका मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया, जिसमें कुसुम ने यह बयान दिया कि उक्त घटना के समय उसका बच्चा रो रहा था और उसके घर में कोई भी उपस्थित नहीं था, इसलिए क्रोध के वशीभूत होकर उसने स्वयं को आग लगा ली। अपने साक्ष्य के कण्डिका-2 में उन्होंने आगे यह कथन किया है कि उक्त बयान के समय कुसुम को कठिनाई महसूस हो रही थी, परंतु उसने विशिष्ट और स्पष्ट रूप से उपरोक्त कथन कहा था और उक्त बयान दर्ज करने के बाद उन्होंने उसे मेडिकल कॉलेज, रायपुर भेज दिया था। दिनांक 10-05-2005 को अपराह्न लगभग 2:30 बजे उन्होंने कुसुम के शव का शवपरीक्षण किया और उसके शरीर पर जलने की चोटें पाईं। इसके अतिरिक्त, अपने साक्ष्य के कण्डिका-7 में उन्होंने मृतका कुसुम की मृत्यु के संबंध में अपनी राय दी, जो इस प्रकार है:

"मेरी राय में मृतका की मृत्यु स्वतः के द्वारा मिट्टी तेल डालकर आग लगा लेने से आत्महत्या के उद्देश्य से, अत्यधिक जल जाने के कारण शरीर में निर्जलीकरण आ जाने की वजह से आई शॉक के कारण, पोस्ट मार्टम के समय से, 24 घंटे के भीतर हुई है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. कुसुम की मृत्यु के संबंध में डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) द्वारा दी गई राय के अनुसार, मृत्यु का कारण आत्महत्या करने के आशय से कारित दहन क्षतियां थीं। शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/11 में डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) द्वारा अभिलिखित राय इस प्रकार है :-

> "मृतका की मृत्यु स्वतः के द्वारा मिट्टी तेल डालकर आग लगा लेने से आत्महत्या के उद्देश्य से, अत्यधिक जल जाने के कारण शरीर में निर्जलीकरण आ जाने की वजह से आई शाक के कारण पोस्ट मार्टम के समय से चौबीस घंटे के भीतर हुई है।"

17. अन्वेषण के दौरान, प्रदर्श-पी/12-ए के माध्यम से डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) से पूछताछ की गई और विवेचना अधिकारी द्वारा यह पूछा गया कि उन्होंने शवपरीक्षण प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि मृतका ने स्वयं अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी, अतः यह स्पष्ट किया जाए कि उन्होंने यह राय किस आधार पर दी है कि मृतका ने स्वयं अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाला था। डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) ने प्रदर्श-पी/12 के माध्यम से इसका उत्तर दिया और अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया कि उन्होंने मृतका का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था और शवपरीक्षण भी किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि मृतका ने स्वयं अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) के साक्ष्य का कण्डिका-9 इस प्रकार है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "पुलिस ने मुझसे क्वेरी रिपोर्ट चाही थी कि स्वयं द्वारा आत्महत्या करने की स्थिति, बतायी गयी स्थिति को स्पष्ट करने को कहा गया था। उक्त संबंध में मैने बताया था कि कुसुमबाई ने मृत्यु पूर्व मुझे दिया था कि उसने स्वतः अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर जली, शवपरीक्षण के दौरान भी मेरे द्वारा पाया गया कि मृतका ने अपने ऊपर खुद मिट्टी तेल डाली है और आग लगा ली है। मेरे द्वारा दी गई प्रतिवेदन प्र० पी०-12 है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।"

क्वेरी प्रदर्श -पी/ 12-ए के संबंध में डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) का जवाब प्रदर्श -पी/12, इस प्रकार है :-

"उक्त संबंध में कथन है कि मृतका कुसुम बाई ने मृत्यु पूर्व बयान मुझे दिया था कि उसने स्वतः उपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर जली है। पोस्ट मार्टम के दौरान भी मेरे द्वारा पाया गया कि मृतका ने अपने ऊपर में खुद मिट्टी तेल डाली है। एवं आग लगा ली है।"

18. डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने महिला चिकित्सक के साथ मिलकर घायल कुसुम का उपचार किया था, परंतु उन कारणों से जो केवल वही गवाह बेहतर जान सकता है, उन्होंने मृतका कुसुम की ऐसी उपचार प्रतिवेदन या परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत या प्रेषित नहीं की। उनके साक्ष्य के अनुसार, मृतका के शरीर पर पाई गई जलने की चोटें 100% थीं। अभियोजन पक्ष ने घटना के आठ महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद दिनांक 28-01-2006 को डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) का परीक्षण किया, परंतु बिना किसी दस्तावेज के, इस गवाह ने यह बयान दिया कि मृतका कुसुम के पति और उसके पति के रिश्तेदार 09-05-2005 और 10-05-2005 की मध्यवर्ती रात्रि को उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भटगांव लाए थे, जिसका उन्होंने महिला चिकित्सक के साथ परीक्षण किया था और मृतका के शरीर पर पाई गई जलने की चोटें 100% थीं। पूछताछ या प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी चोटों या लक्षणों के आधार पर, मृत्यु का कथित कारण मानव वध, आत्महत्या या दुर्घटना हो सकता है, या चोटें किसी प्रकार के हथियार से या किसी दुर्घटना या घटना के परिणामस्वरूप हो सकती हैं। "तथापि, केवल चोटों या लक्षणों के आधार पर, कोई व्यक्ति इस स्थिति में नहीं होगा कि वह यह कह सके कि घायल ने स्वयं आत्महत्या करने के आशय से अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाला है। शवपरीक्षण करने वाला या घायल के शरीर का परीक्षण करने वाला व्यक्ति यह राय नहीं दे सकता कि शरीर पर पाई गई चोटें मानव वध या आत्महत्या करने के आशय से अथवा किसी अन्य आशय से कारित की गई हैं। वास्तव में, आशय उस व्यक्ति के मस्तिष्क में छिपा होता है जो ऐसा कार्य करता है या कारित करता है, और सामान्यतः अभियोजन पक्ष या न्यायालय के लिए किसी व्यक्ति के आशय का पता लगाना कठिन होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) एक शासकीय चिकित्सक हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भटगांव में सहायक शल्य चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे; वह घायल का तत्काल परीक्षण करने और उसे तत्काल उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य थे। तथापि, हमें डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) और किसी महिला चिकित्सक द्वारा मृतका कुसुम के उपचार का ऐसा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। इसके विपरीत, तत्काल आपातकालीन उपचार और परीक्षण प्रदान करने के बजाय, डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) ने प्रदर्श **-पी/10** के रूप में मृत्युकालिक कथन तैयार कर लिया।

20. प्रदर्श-पी/10, कथित मृत्युकालिक कथन, स्वाभाविक भी प्रतीत नहीं होता है, इसके विपरीत, यह अप्राकृतिक प्रतीत होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी घायल की मृत्यु के कारण का उल्लेख करता है, वह भी तब जब घायल 100% जलने के कारण गंभीर स्थिति में हो और घटना के $2^{1/2}$ घंटे के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह केवल यही बताएगा कि घायल ने स्वयं को क्यों जलाया और किन परिस्थितियों में जलाया; किंतु कम से कम, वह यह उल्लेख नहीं करेगा कि घायल ने 'आत्महत्या या मानव वध करने के आशय से' स्वयं को जलाया है। शव-परीक्षा करते समय, शवपरीक्षण करने वाला शल्य चिक्तिसक मृत्यु या चोटों के कारण पर अपनी राय दे सकता है, लेकिन वह घायल व्यक्ति के आशय के संबंध में राय देने की स्थिति में नहीं होगा। प्रदर्श-पी/10, कथित मृत्युकालिक कथन और डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) द्वारा प्रदर्श-पी/11 (शवपरीक्षण प्रतिवेदन) में मृतका को जलने की चोटें आने के संबंध में दी गई 'आशय' संबंधी राय स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती है। इसके विपरीत, यह दर्शाता है कि ऐसा बयान दर्ज करते समय और प्रदर्श-पी/11 में ऐसी राय देते समय, तत्काल उपचार प्रदान करने के बजाय, डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है और अपनी रुचि प्रदर्शित की है, जो एक लोक सेवक के लिए उचित नहीं है।

21. जैसा कि ***पद्माबेन (उपरोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि चिकित्सक द्वारा दर्ज किया गया मृत्युकालिक कथन यदि प्रश्न-उत्तर के रूप में न भी हो, तो इससे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उनके साक्ष्य के प्रमाणिक मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता और उस पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, कथित मृत्युकालिक कथन प्रदर्श -पी/10 डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) द्वारा दर्ज किया गया है, जो प्रश्नोत्तरी रूप में नहीं है, किंतु अभिलेख के अवलोकन से यह विश्वास उत्पन्न नहीं करता है और विश्वसनीय नहीं है; यह एक संदिग्ध दस्तावेज है। ***पद्माबेन (उपरोक्त)*** का मामला वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न है।

22. जैसा कि ***शरद (उपरोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 'अनुश्रुत साक्ष्य' के नियम का एक अपवाद है और उस व्यक्ति के कथन को ग्राह्य बनाती है जिसकी मृत्यु हो जाती है; किंतु इसे स्वीकार करने से पूर्व न्यायालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे इसकी सत्यता से संबंधित साक्ष्यों का सुक्ष्म परीक्षण करें और यदि वह सत्य पाया जाता है, तो वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त होगा। वर्तमान मामले में, प्रदर्श-पी**/10** (मृत्युकालिक कथन) संदिग्ध प्रतीत होता है और ऐसे मृत्युकालिक कथन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ***शरद (उपरोक्त)*** का मामला भी वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. इन परिस्थितियों में, शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श -पी/11 केवल इस सीमा तक ग्राह्य है कि मृतका कुसुम की मृत्यु उसको कारित की गई जलने की चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी। अभियोजन पक्ष ने दहेज की मांग के संबंध में मृतका कुसुम के प्रति प्रताड़ना एवं क्रूरता किए जाने से संबंधित साक्ष्यों का एक अन्य समूह प्रस्तुत किया है।

24. अभियोजन पक्ष ने मृतका की माता श्रीमती रुकमिणी बाई (अ.स.-1) का परीक्षण किया है, जिन्होंने यह अभिकथन किया है कि विवाह के ठीक एक महीने बाद ही, अपीलार्थीगण ने दहेज की मांग के संबंध में मृतका कुसुम के साथ प्रताड़ना एवं क्रूरता करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने मृतका को वापस उसके घर भेज दिया था, किंतु कुछ समझाइश के बाद उन्होंने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया जहाँ वह 5-6 महीने रही। पुनः अपीलार्थी श्याम खटकर अपनी पत्नी को उसके घर ले आया जहाँ उसकी बेटी कुसुम ने उसे बताया कि उसके ससुराल वाले 1 लाख रुपये,

वाहन और फ्रिज की मांग कर रहे हैं; दोबारा कुछ समझाइश के बाद उन्होंने अपनी बेटी को वापस उसके ससुराल भेज दिया, जिसके पश्चात वह गर्भवती हुई। उनकी बेटी अपने ससुराल में रह रही थी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें पुत्र जन्म के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी आमंत्रित किया गया था और उसके $1^{1/2}$महीने बाद यह घटना घटित हुई। इस साक्षी ने यह उपधारणा की है कि अपीलार्थीगण ने ही उसकी बेटी की हत्या की है। मृतका की बहन कुमारी सुशीला सोनी (अ.स.-2) ने श्रीमती रुकमिणी बाई (अ.स.-1) के साक्ष्य की संपुष्टि की है। मृतका के पिता सहसराम सोनी (अ.स.-3) और श्रवण कुमार उर्फ सखन (अ.स.-4) ने भी श्रीमती रुकमिणी बाई (अ.स.-1) के साक्ष्य का समर्थन किया है। बचाव पक्ष ने इन साक्षियों से विस्तृत प्रति-परीक्षा की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अपनी प्रति-परीक्षा में, श्रीमती रुकमिणी बाई (अ.स.-1) ने इस सुझाव से इनकार किया कि अपीलार्थी श्याम खटकर और उसकी पत्नी अन्य अपीलार्थीगण से अलग रह रहे थे। उन्होंने अपनी प्रति-परीक्षा के कण्डिका-15 में यह स्वीकार किया है कि बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के समय, अपीलार्थीगण का व्यवहार अच्छा था। कण्डिका-18 में, उन्होंने स्वीकार किया है कि अपीलार्थीगण ने उनके सामने दहेज की मांग नहीं की थी। अपनी प्रति-परीक्षा के कण्डिका-19 में उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि जब श्याम खटकर अपनी पत्नी (मृतका) के साथ उनके घर आता था, तब वह 2-3 दिन रुकता था, बल्कि उन्होंने विशिष्ट रूप से यह कथन किया कि श्याम खटकर उसी दिन वापस लौट जाता था।

26. बचाव पक्ष ने मृतका की बहन कुमारी सुशीला सोनी (अ.स.-2) से भी प्रति-परीक्षा की है। अपनी विस्तृत प्रति-परीक्षा में उसने विशिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसकी बहन कुसुम ने उसे बताया था, और वह उसे अपीलार्थीगण द्वारा दहेज की मांग के कारण की जाने वाली प्रताड़ना और क्रूरता के बारे में बताया करती थी। उसने अपनी प्रति-परीक्षा में अपनी बहन कुसुम के हाथों में फ्रैक्चर (अस्थि-भंग) होने के संबंध में अतिशयोक्तिपूर्ण बयान दिए हैं। मृतका के पिता सहसराम सोनी (अ.स.-3) ने भी अपनी प्रति-परीक्षा में यह कथन किया है कि उनकी बेटी ने उन्हें कथित

प्रताड़ना एवं क्रूरता के बारे में सूचित किया था और उन्होंने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। श्रवण कुमार उर्फ सखन (अ.स.-4) ने अपनी प्रति-परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे उपरोक्त प्रताड़ना और क्रूरता की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी।

27. उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य और अपीलार्थीगण के बचाव के अनुसार, अपीलार्थी श्याम खटकर मृतका के साथ अलग घर में रह रहा था और अन्य अपीलार्थीगण अलग घर में रह रहे थे, परंतु उनके बीच कोई औपचारिक शिकायत नहीं हुआ था। घटना-स्थल मानचित्रों प्रदर्श-पी/16 एवं पी/19 और अपीलार्थी श्याम खटकर द्वारा दर्ज कराई गई मर्ग प्रदर्श-पी/13 के अनुसार, कुसुम ने वह घर छोड़ दिया था जहाँ वह अपने पति के साथ सोया करती थी और घटना दूसरे घर में हुई जहाँ अन्य अपीलार्थीगण सोया करते थे। मर्ग प्रदर्श-पी/13 के अनुसार, अपीलार्थी श्याम खटकर के साथ हुई किसी कहा-सुनी के कारण कुसुम ने पहला घर छोड़ दिया था और कुछ समय बाद जब श्याम अपने दूसरे घर गया जहाँ उसके माता-पिता रह रहे थे, तो उसने देखा कि कुसुम जल रही थी, फिर उसने अपने पिता के साथ मिलकर आग बुझाई और उसे उपचार के लिए भटगांव ले गया। भटगांव के चिकित्सक की सलाह पर वे कुसुम को रायपुर ले जा रहे थे, परंतु ग्राम गिधौरी के पास कुसुम की मृत्यु हो गई। उपरोक्त तथ्य अपीलार्थी श्याम खटकर के अस्वीकारोक्ति कथन हैं जो साक्ष्य में ग्राह्य हैं, और जिनसे यह प्रकट होता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन रात 10:30 बजे कुसुम ने अपना पहला घर छोड़ दिया था और कुछ समय बाद, घटना उस दूसरे घर में हुई जहाँ अन्य अपीलार्थीगण रह रहे थे। बचाव पक्ष के अनुसार, ऐसी घटना का कोई कारण नहीं था और अपीलार्थीगण ने मृतका को जलने की चोटें कारित नहीं की हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

28. प्रदर्श-पी/13, पी/16 एवं पी/19 और साक्षियों के साक्ष्य यह प्रकट करते हैं कि सभी अपीलार्थीगण दो घरों में एक साथ रह रहे थे और अपीलार्थी श्याम खटकर तथा मृतका कुसुम, अन्य अपीलार्थीगण से अलग निवास नहीं कर रहे थे।

29. मृतका के पिता, माता और मातृ-पक्ष के रिश्तेदारों ने घटना से पूर्व कोई प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज नहीं कराई थी और न ही उन्होंने समस्या के समाधान हेतु किसी जाति पंचायत या ग्राम पंचायत का आयोजन किया था। वर्तमान मामले में, मृतका की मृत्यु उसके विवाह के एक वर्ष के भीतर हुई थी।

30. घरेलू हिंसा या उत्पीड़न के मामलों में, सामान्यतः प्रभावित व्यक्ति अर्थात् बहू, अपने पति या ससुराल वालों के उत्पीड़न या दमनकारी व्यवहार की सूचना अन्य व्यक्तियों को नहीं देती है, परंतु जब भी उसे अवसर मिलता है, वह इसके बारे में अपने माता-पिता को सूचित करती है। वधू के माता-पिता सामान्यतः तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान की आशा में और भविष्य में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से बचने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। परंतु जब मामला असहनीय हो जाता है, तब बहू या प्रभावित महिला अपने पति और ससुराल वालों के दमनकारी व्यवहार का खुलासा पुलिस, पड़ोसियों और अपने से संबंधित अन्य व्यक्तियों के सामने करती है, ताकि उनके हस्तक्षेप से विवाद का समाधान हो सके।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31. इस आधार पर कि मृतका के मातृ-पक्ष के रिश्तेदारों ने मृतका के जीवनकाल के दौरान शिकायत दर्ज नहीं कराई थी या पंचायत की बैठक अथवा सामुदायिक बैठक नहीं बुलाई थी, उनके साक्ष्य को अमान्य नहीं किया जा सकता। श्रीमती रुकमिणी बाई (अ.स.-1), कुमारी सुशीला सोनी (अ.स.-2) और सहसराम सोनी (अ.स.-3) के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मोह और धारणा के आधार पर उन्होंने यह बयान दिया है कि अपीलार्थीगण ने उनकी बेटी/बहन की हत्या की है, किंतु वे मौके पर उपस्थित नहीं थे। अतः, अपीलार्थीगण द्वारा मृतका की हत्या किए जाने से संबंधित उपरोक्त साक्ष्य केवल एक अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है और इसे अन्य साक्ष्यों से सुरक्षित रूप से पृथक किया जा सकता है।

32. श्रीमती रुकमिणी बाई (अ.स.-1) ने अपने साक्ष्य के कण्डिका-12 में विशिष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी श्याम खटकर और मृतका कुसुम पुराने घर में रह रहे थे और अन्य अपीलार्थीगण नए घर में रह रहे थे, किंतु वे नए घर में एक साथ भोजन किया करते थे। उनकी

प्रति-परीक्षा के कण्डिका-15 के अनुसार, बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के समय, अपीलार्थीगण का व्यवहार सौहार्दपूर्ण था। यह कोई अप्राकृतिक तथ्य या आचरण नहीं है; यहाँ तक कि तनावपूर्ण संबंधों के मामले में भी, रिश्तेदार किसी सामाजिक प्रकृति के कार्यक्रम के समय अपने तनावपूर्ण संबंधों को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

33. इन साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मुख्य रूप से अपीलार्थी श्याम खटकर ने दहेज की मांग की थी, किंतु उन्होंने यह बयान नहीं दिया है कि क्या उन्होंने उपरोक्त दहेज की मांग को पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा किया था, अथवा क्या उन्होंने दहेज की पूर्ति न हो पाने की परिस्थितियों के संबंध में अपीलार्थी श्याम खटकर को संतुष्ट करने का प्रयास किया था। तथापि, उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि सभी अपीलार्थीगण, संभवतः अपीलार्थी श्याम खटकर का समर्थन करने के लिए, कुसुम के प्रति निरंतर क्रूरता कर रहे थे। कुमारी सुशीला सोनी (अ.स.-2) के साक्ष्य के कण्डिका-12 के अनुसार, अपीलार्थीगण ने कई बार कुसुम के साथ झगड़ा किया था और उसे धमकी दी थी कि वे उसे चोट पहुँचाएंगे। उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी श्याम खटकर का दृष्टिकोण और व्यवहार यह दर्शाता है कि जब भी वह उनके घर जाता था, तो वह एक दिन के लिए भी नहीं रुकता था, बल्कि केवल एक या दो घंटे ही रुकता था। यह भी अपीलार्थी श्याम खटकर के अपनी पत्नी कुसुम के साथ तनावपूर्ण संबंधों और असौहार्दपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. अपीलार्थी श्याम खटकर ने मर्ग-पी/13 दर्ज कराई थी, जिसे विनोद ध्रुव (अ.स.-9) द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष दिया गया स्वीकारोक्ति कथन साक्ष्य में अग्राह्य है, किंतु अभियुक्त का अस्वीकारोक्ति कथन साक्ष्य में ग्राह्य है।

35. प्रदर्श -पी/13 के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन रात्रि लगभग 10:30 बजे, अपीलार्थी श्याम खटकर ने अपनी पत्नी-मृतका कुसुम को बताया कि वह 'नाचा' (एक प्रकार का ग्रामीण मनोरंजन) देखने जा रहा है, जिस पर उसने आपत्ति जताई। कुछ समय बाद जब वह वापस आया, तब उसके

और मृतका के बीच कुछ कहा-सुनी हुई, जिसके पश्चात मृतका कुसुम ने उसका घर छोड़ दिया। पूछे जाने पर उसने कहा कि वह बाद में आएगी, किंतु वह वापस नहीं लौटी। इस पर वह भूषण की दुकान तक गया, जहाँ उसे मृतका कुसुम नहीं मिली, जिसके उपरांत वह अपने नए घर गया जहाँ उसके माता, पिता और भाई रह रहे थे और वहाँ उसने देखा कि कुसुम जल रही थी, फिर उन्होंने आग बुझाई। यह एक अस्वीकारोक्ति कथन है, जो यह दर्शाता है कि रात 10:30 बजे के बाद, कहा-सुनी के उपरांत, कुसुम ने अपना वह पुराना घर छोड़ दिया जहाँ श्याम खटकर अकेला था। यह उसका सामान्य आचरण नहीं था, और यहाँ तक कि एक सामान्य व्यक्ति, विशेष रूप से एक महिला से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह रात के लगभग 11 बजे बिना किसी अत्यावश्यकता के और अकेले अपना घर छोड़ दे। अपीलार्थी श्याम खटकर अपने घर में उपस्थित था, उसने न तो उसका पीछा किया और न ही वह उसके साथ गया, और कुछ ही घंटों के भीतर उसने अपनी पत्नी को अपने नए घर में जलती हुई अवस्था में देखा। यह उस कहा-सुनी की गंभीरता और ऐसी घटना के कारित होने की परिस्थितियों तथा अपीलार्थी श्याम खटकर की सक्रिय संलिप्तता को दर्शाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

36. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, विशेष रूप से मृतका के मातृ-पक्ष के रिश्तेदारों के साक्ष्य, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी श्याम खटकर, जिसके संबंध विवाह के ठीक बाद से ही अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण थे और उसकी मृत्यु तक जारी रहे, के समर्थन में अन्य अपीलार्थीगण ने श्याम खटकर के कृत्यों का साथ दिया, जिसने मृतका कुसुम पर अत्याचार भी किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलार्थीगण ने दहेज की मांग के संबंध में मृतका के साथ प्रताड़ना और क्रूरता की थी। दहेज की मांग को पूरा करने के किसी प्रयास या मृतका के माता-पिता की ओर से किसी भी प्रतिक्रिया के अभाव में, केवल निराधार आरोप यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलार्थीगण ने दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता की थी। तथापि, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस सीमा तक निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी श्याम खटकर ने अपने कृत्यों द्वारा, दिनांक 09-05-2005 को रात लगभग 11 बजे, कुसुम को उसके (श्याम खटकर) द्वारा किए गए

दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के परिणामस्वरूप आत्महत्या करने के लिए विवश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अन्य अपीलार्थीगण, अर्थात् सुरित राम, ओडकाकिन उर्फ दरासमती एवं मनोज ने कुसुम द्वारा ऐसी आत्महत्या करने के लिए उसे उकसाया या दुष्प्रेरित किया या सहायता प्रदान की थी। तथापि, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी श्याम खटकर ने कुसुम द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध किया है और अन्य अपीलार्थीगण ने उसके साथ प्रताड़ना एवं क्रूरता कारित की है, किंतु आत्महत्या के लिए न तो उकसाया, न दुष्प्रेरित किया और न ही कोई सहायता पहुँचाई।

37. अपीलार्थी श्याम खटकर का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 306 एवं 498-क के अंतर्गत दंडनीय है। इसी प्रकार, अन्य अपीलार्थीगण, अर्थात् सुरित राम, ओडकाकिन उर्फ दरासमती एवं मनोज पर आरोपित कृत्य केवल धारा 498-क के अंतर्गत ही दंडनीय है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

38. अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करते समय, विचारण न्यायालय ने मृतका की मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग से संबंधित साक्ष्यों की पर्याप्तता और दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्वों की अनुपस्थिति पर विचार नहीं किया है, और इस प्रकार अवैधता कारित की है।

39. पूर्वोक्त कारणों से, हमारे सुविचारित मत में, भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि और दंडादेश विधि के अंतर्गत रखे जाने योग्य नहीं है।

40. परिणामस्वरूप, श्याम खटकर एवं ओडकाकिन उर्फ दरासमती की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील क्रमांक276/2006 और सुरित राम एवं मनोज की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील क्रमांक 374/2006 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

(1) भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एतद्द्वारा कायम रखी जाती है; तीन वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 500/- रुपये के जुर्माने के स्थान पर, उन्हें एतद्द्वारा 1½ वर्ष के कठोर कारावास और

प्रत्येक पर 500/- रुपये के जुर्माने दण्डित किया जाता है, और जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम किए जाने पर दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

(2) अपीलार्थीगण ओडकाकिन उर्फ दरासमती, सुरित राम एवं मनोज पर 304-ख के अंतर्गत अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश को एतद्‌द्वारा अपास्त किया जाता है और उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(3) अपीलार्थी श्याम खटकर को धारा 304-ख के अंतर्गत दोषी ठहराने के स्थान पर, उसे एतद्‌द्वारा धारा 306 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है और छह वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा दी जाती है, और जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) के असामान्य आचरण को देखते हुए, निर्णय की प्रति, कथित मृत्युकालिक कथन प्रदर्श-पी/10 की प्रति, डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) के साक्ष्य की प्रति और शव-परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श -पी/11 की प्रति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को भेजी जाए ताकि ऐसे जिम्मेदार लोक सेवक के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव, डॉ. नारायण सिंह (अ.स.-8) को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के बाद और इस न्यायालय के निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकते हैं।

सही/-	**सही/-**
टी.पी. शर्मा	**आर.एन. चंद्रकार**
(न्यायाधीश)	(न्यायाधीश)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Ashwani Shukla, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur